INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

सन्दर्भ सं-3/UPGOVT/01 27.03.2020

सेवा में,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

विषय: प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जीवित रखने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव/प्रस्ताव ।

महोदय,

आज देश एवं दुनिया जिस भयंकर त्रासदी को झेल रहे हैं और जिस प्रकार आप और हमारे प्रधानमंत्री इस त्रासदी पर विजय पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) आपके प्रयासों को सफल बनाने में भरसक प्रयत्न कर रहा है । प्रदेश और देश में गरीब/कम आय वाले व्यक्तियों तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सहायता के लिए आपकी सरकार और भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये है और व्यवसाय मालिको को भी कुछ आदेश जारी किये हैं जिसमे लॉकडाउन अवधि में सवेतन अवकास देने का आदेश भी शामिल है ।

उपरोक्त परिपेक्ष में आपको अवगत कराना चाहते है कि इस कठिन घडी में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी भी अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं परन्तु उनकी लॉकडाउन के कारण कुछ व्यवहारिक समस्यायें भी हैं जिनका समाधान यदि नही होता है तो उनको अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होगा । आपको ज्ञात ही है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में कार्यशील पूँजी प्रवाह की अनेक कारणों से सामान्य परिस्थितियों में भी कमी रहती है । परन्तु लॉकडाउन अवधि में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में कार्य शील पूँजी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी । ऐसे में इनके लिए बैंक ऋण की किस्ते एवं ब्याज देना, वेतन देना, बिजली के बिल देना तथा अन्य फिक्स्ड खर्चे वहन करना असम्भव हो जायेगा ।

ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार इन उद्योगों को सहारा नहीं देती है तो उनका जीवित रहना मुश्किल होगा । अत: आईआईए आपसे प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए निम्नलिखित सहायता/सहयोग का आग्रह करता है:-

1. **वैट एसेसमेंट वर्ष 2017-18 के सम्बन्ध में**: अप्रैल 2017 से जून 2017 तक के लिए वैट एसेसमेंट 31 मार्च 2020 को टाइम बार हो जायेंगे । वर्तमान परिस्थितियों में यह टाइम बार पीरियड 30 जून 2020 तक अथवा कोविड-19 के प्रभाव की समाप्ती से तीन माह तक बढ़ाया जाना चाहिए । इस अवधि में कोई भी एक्स पार्टी एसेसमेंट न किये किये जायें ।
2. **सरकारी खजाने (Treasery विभाग) में पेमेंट की समय सीमा के सम्बन्ध में**: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों से Treasery विभाग भुगतान के बिल 15 मार्च 2020 तक ही लेता है । वर्तमान परिस्थिति में यह अवधि भी 30 जून 2020 तक अथवा अथवा कोविड-19 के प्रभाव समाप्त होने के तीन महीने बाद तक बढ़ाई जानी चाहिए ।
3. **श्रम विभाग से सम्बन्धित सुझाव**:
   - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के नियोक्ताओं को PF, ESI और Gratuity के भुगतान से एक साल तक छूट प्रदान की जाये ।
   - विभाग द्वारा समयवद्ध अनुपालन के लिए नोटिस जारी न किये जायें जब तक कोविड-19 का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है ।
   - लॉक डाउन अवधि के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बिना काम वेतन देने के लिए बाध्य न किया जाये। कोविड-19 ग्रसित कर्मचारियों को मडिकल लीव एवं Earned leave के एवज में अवकाश दिया जा सकता है ।

क्योकि कोविड-19 एक महाबिमारी है अत: ई.एस.आई. में पंजीकृत कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. के रिज़र्व फण्ड जो आज 10000 करोड़ रूपये से अधिक है में से वेतन दिया जाना चाहिए। इस फण्ड का आज की परिस्थितियों के अतिरिक्त कभी भी और और अच्छा उपयोग नहीं हो सकता है। जो कर्मचारी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में ई.एस.आई में पंजीकृत नहीं है उन्हें प्रदेश सरकार विनिर्माण कर्मचारियों की भांति मुफ्त राशन प्रदान करे तथा उद्यमियों को उन्हें 1000 रूपये प्रतिमाह तक ही वेतन देने की अनुमति प्रदान की जाये।

4. **विधुत विभाग के सम्बन्ध में**: सभी विधुत वितरण कम्पनियों को निर्देशित किया जाये कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से न्यूनतम चार्ज न लिया जाये और डिमांड चार्ज / फिक्स्ड चार्ज भी मासिक औसत डिमांड के आधार पर ही लिया जाये न कि स्वीकृत भार पर।

5. **अप्रत्याशित घटना क्लॉज़ (Force Majeure Clause) के सम्बन्ध में:** कविड-19 के प्रभाव की घटना को अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) घोषित करते हुए प्रदेश सरकार के सभी विभागों एवं उपक्रमों द्वारा किये गये अनुबंधों पर लागू किया जाये और करार के अंतर्गत सप्लाई अथवा कार्य पूर्ण करने की अवधि को 30 जून 2020 अथवा जब तक कोविड-19 का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है उसके तीन माह बाद तक बढ़ाया जाये। करार में अवधि पर सप्लाई या कार्य पूर्ण न होने पर किसी भी प्रकार का दण्ड न लगाया जाये।

आशा करते हैं कि आईआईए के उपरोक्त सुझावों/प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आप सम्बन्धित विभागों को उचित करते हुए आप सम्बन्धित विभागों को उचित निर्देश देने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद,
भवदीय,

पंकज कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रतिलिपी अग्रिम सूचनार्थ एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही के लिए:

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
3. प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश
4. प्रमुख सचिव श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश
5. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
6. प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश
7. प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
8. प्रमुख सचिव लीगल अफेयर्स विभाग, उत्तर प्रदेश

पंकज कुमार